



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 06 माह का कारावास व ₹1,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई। ”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 505/2011 धारा-25 आर्म्स अधिनियम में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/ गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ रणवीर पुत्र शंकरलाल श्रीवास निवासी चांद थोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 06 माह का कारावास व ₹1,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी प्रवीण सिंह
भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 डी0आर0
सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह